

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./आर.कैम्प/666/2011

Date : 22.06.2011

अल्पकालीन निविदा-सूचना

विश्वविद्यालय परिसर स्थित पुरुष व महिला छात्रावासों में ठेके पर मेस चलाने हेतु मुहरबन्द निविदायें सक्षम फर्मों से दिनांक: 29.06.2011 को अपराह्न 02:00 बजे तक, सहायक कुलसचिव (मु०एवं प्र०) के कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदाएं उसी तिथि को अपराह्न 03:00 बजे उपस्थित/अनुपस्थित निविदादाताओं के समक्ष, प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित उप-कुलसचिव (प्रशा०) कक्ष में खोली जायेंगी।

निविदा प्रपत्र, निविदा शर्तों आदि का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org के Home page पर बने लिंक 'News & Tender Announcement' पर उपलब्ध है।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

क्रमांक :

मूल्य ₹ 200/- (दो सौ मात्र)

निविदा - प्रपत्र

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर परिसर स्थित पुरुष व महिला छात्रावासों में ठेके पर मेस संचालन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक: 29.06.2011 को अपराह्न: 02:00 बजे तक प्रतिष्ठित मेस संचालकों, जिन्हें मेस चलाने का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव हो, निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **“मेस संचालन हेतु निविदा”** लिखना आवश्यक है। निविदा हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि ₹ 50000.00 नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही **‘वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर’** के नामे जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित नियम-शर्तें तथा मेस मेन्यू निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के कैंश काउन्टर में ₹ 200/- नकद जमाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट: www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य के सापेक्ष ₹ 200.00 का बैंक ड्राफ्ट, **‘वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर’** के नामे संलग्न करना होगा। सक्षम अधिकारी (कुलपति जी) को यह अधिकार होगा कि वह सभी निविदाओं को बिना कारण बताए किसी भी स्तर पर निरस्त कर सकते हैं।

निविदा – प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :

1. आवेदक का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. पता : _____
4. ट्रेड टैक्स नं.0 : _____
5. टैन नं0 : _____
6. कार्य का अनुभव (प्रमाण सहित) : _____
7. निविदा पत्र क्रय करने सम्बन्धी रसीद का विवरण :

बैंक का नाम..... ड्राफ्ट सं० व तिथि..... धनराशि.....

- | बुक सं०
(एक प्रति संलग्न करें) | क्रम सं० | ₹ | दिनांक |
|--|----------|---|--------------|
| 8. धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण: | | | |
| 1. बुक सं०
(एक प्रति संलग्न करें) | क्रम सं० | ₹ | दिनांक |
| 2. बैंक ड्राफ्ट सं०
(एक प्रति संलग्न करें) | दिनांक: | ₹ | संलग्न करें। |
| 9. इस निविदा के साथ संलग्न नियम व शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार है। निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर मेस संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा। | | | |

आवेदक के हस्ताक्षर : _____

आवेदक का नाम : _____

पूर्ण पता : _____

दूरभाष नं० : _____

पैन/टैन नं० : _____

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

विश्वविद्यालय छात्रावासों में मेंस संचालन हेतु निविदा के नियम व शर्तें

1. मेंस संचालन हेतु ₹ 50,000.00 (₹ पचास हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि कैश काउन्टर पर नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पक्ष में देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के निविदा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। सुरक्षा धनराशि उल्लेखित प्रकार के अतिरिक्त किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. निविदा में फर्म को अपने पैड पर खानपान की सूची, दर सहित, विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न सूची के अनुसार उल्लिखित करना होगा।
3. मेंस संचालन हेतु ठेका किसी भी एक फर्म अथवा अलग-अलग फर्मों को दिया जा सकता है।
4. आवेदनकर्ता को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित संस्थान में न्यूनतम 100 छात्र/छात्राओं हेतु मेंस संचालित करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. आवेदनकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ पैन कार्ड तथा व्यापार कर पंजीयन संख्या एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. प्रति छात्र/छात्रा हेतु भोजन व्यवस्था से संबंधित प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत यूटिलिटी चार्ज के रूप में मेंस ठेकेदार के देयक में से कटौती की जाएगी।
7. किसी भी प्रकार की टूट-फूट एवं क्षति की क्षतिपूर्ति फर्म को स्वयं वहन करनी होगी। ऐसा न करने पर विश्वविद्यालय, जमा सुरक्षा धनराशि में से कटौती पर मरम्मत आदि कराने हेतु अधिकृत होगा।
8. किसी भी विवाद की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा किया गया निर्णय ही मान्य होगा। साथ ही विश्वविद्यालय को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी निविदा अथवा निविदाओं को किसी भी समय निरस्त कर दे।
9. दरों का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा।
10. शर्तों का पालन न करने अथवा न होने की दशा में विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह दिया गया ठेका निरस्त कर दे तथा जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ले।
11. नियम व शर्तों के अनुपालन हेतु कान्ट्रैक्टर को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के साथ अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

मेंस संचालन हेतु अन्य नियम व शर्तें

1. मेंस कान्ट्रैक्टर प्रतिदिन तीन मील्ल्स देगा-नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। इसके अतिरिक्त शाम की चाय भी उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक भोजन के लिए दो-ढाई घण्टे तक का समयान्तराल निर्धारित होगा।
2. छात्रावास की मेंस कमेटी कान्ट्रैक्टर को भोजन हेतु मेन्यू बनाकर उपलब्ध कराएगी। जोकि प्रायः एक महीने के लिए निर्धारित होगा। किन्तु मेंस कमेटी को यह अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो उससे पहले भी मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। (नमूना मेन्यू संलग्नक-1 में दिया गया है।)
3. मेंस कान्ट्रैक्टर खाने में प्रयोग में लाये जाने वाले सामान यथा-तेल, मसाले, दूध, बिस्कुट आदि उत्तम गुणवत्तापूर्ण, विशेष रूप से एग मार्क सामग्री को ही प्रयोग में लायेगें। साथ ही उपरोक्त चीजों की गुणवत्ता छात्रावास की मेंस कमेटी एवं वार्डन द्वारा प्रमाणित की जायेगी।
4. छात्रावास में बीमार पड़ने वाले छात्र/छात्राओं के लिए मेंस कान्ट्रैक्टर "सिक डाइट" उनके कक्ष में उपलब्ध करायेगे। यदि बीमार छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती है तो भोजन स्वास्थ्य केन्द्र में पहुँचाना भी मेंस कान्ट्रैक्टर का दायित्व होगा। सिक डाइट मेंस कमेटी/चिकित्सक/वार्डन के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5. मेस कान्ट्रैक्टर ताजी सब्जियों का उपयोग करेगा तथा किसी भी स्थिति में गर्मी में एक दिन तथा सर्दी में दो दिन से अधिक पुरानी सब्जियों का भण्डारण नहीं करेगा।
6. यदि अनुपयुक्त गुणवत्ता वाले सामान खरीदे तथा खिलाए जाते हैं या डाइनिंग हाल तथा रसोई में उचित सफाई नहीं पायी जाती है या संविदा की शर्तों का किसी तरह से उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय अधिकारी/वार्डन उचित आर्थिक दण्ड आरोपित करने हेतु अधिकृत होंगे।
7. मेस में प्रदान की गई सुविधाओं जैसे फर्नीचर, बिजली एवं पानी की सुविधाओं आदि के समुचित उपयोग व रख-रखाव की जिम्मेदारी मेस कान्ट्रैक्टर की ही होगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बिजली की सुविधा का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जायेगा। किन्तु टोस्टर, गीजर, मिक्सर, ओवन एवं फ्रिज आदि में बिजली का उपयोग किया जा सकता है।
9. सामान्य स्थिति में मेस पूरे शैक्षणिक वर्ष चलेगा। किन्तु यह विश्वविद्यालय पर निर्भर रहेगा कि वह लम्बे अवकाशों के दौरान कुछ समय के लिए मेस को बन्द रखने का आदेश दे सकता है।
10. मेस कान्ट्रैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मेस के कार्यों जैसे-खाना बनाना, बर्तन साफ करना, किचिन व मेस की सफाई रखना आदि के लिए उचित मात्रा में कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। जिनकी उपस्थिति समय-समय पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा चेक की जायेगी। कर्मचारियों की कमी पाये जाने पर मेस कान्ट्रैक्टर पर आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
11. मेस कान्ट्रैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी सभी प्रकार की संक्रामक बीमारी से मुक्त हों। इस हेतु प्रत्येक छः महीने के अन्तराल में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। जिस पर भारित व्यय कान्ट्रैक्टर के द्वारा वहन किया जायेगा।
12. महिला छात्रावास नम्बर 1, 2, 3 व 4 में अलग-अलग खाना बनाया जायेगा। किसी भी स्थिति में एक ही छात्रावास में खाना बनाकर अन्य छात्रावासों में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
13. मेस कान्ट्रैक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र/छात्राओं को गरम-गरम ताजा खाना परोसा जाए।
14. तलने के बाद बचे हुए तेल को दोबारा खाना बनाने में प्रयोग में नहीं लाया जाए।
15. मेस में कार्यरत कर्मचारी साफ-सुथरी एवं निर्धारित यूनीफार्म का ही धारण करेंगे।
16. विश्वविद्यालय परिसर, विशेष रूप से छात्रावासों में, धूम्रपान एवं मद्यपान पूर्णतया निषिद्ध होगा। उपरोक्त नियम का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को कानूनी रूप से दण्डित किया जायेगा तथा तत्काल प्रभाव से उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. मेस कान्ट्रैक्टर छात्रावास तथा मेस परिसर का प्रयोग अनुबन्ध में उल्लिखित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

कुलसचिव

C.S.J.M. University, Kanpur
Tentative Mess Menu

Day	Break Fast	Lunch	Tea	Dinner
Monday	2 piece Sandwich, Sauce, Tea	Arhar Daal, Seasonal Veg., Rice, Roti, Green Salad, Pickle	Tea, Onion Pakodi	Chhola Bathura, Jeera Rice, Gree Salad, Pickle
Tuesday	Onion Paratha, Sauce, Tea	Mix Daal, Aloo Taroi Veg, Rice, Roti, Green Salad, Pickle	Tea, Matari	Arhar Daal, Aloo Gobhi Veg, Rice, Roti, Green Salad, Pickle
Wednesday	Daal Kachori, Aloo Sabji, Tea	Aloo Baigan Veg, Arhar Daal, Rice, Roti, Green Salad, Pickle	Tea, Biscuit	Sahir Paneer / Palak Paneer / Malai Kofta / Chili Paneer, Mixed Veg, Pulao / Veg Biryani, Naan, White Rasgulla / Kheer / Sewai, Green Salad, Pickle
Thursday	Bread 4 Piece with Butter and Jam, 2 Banana, Tea	Chana Lauki Daal, Aloo Gobhi Veg, Rice, Roti, Green Salad, Pickle	Tea, Namakpara	Aloo Tamater Veg, Poori, Rice, Boondi Raita, Green Salad, Pickle
Friday	Aloo Kachori, Curd, Tea	Kari, Jeera Aloo Veg, Rice, Roti, Green Salad, Pickle	Tea, 2 Jeera Piece	Manchurian, Fried Rice, Green Salad
Saturday	Poori Sabji, Tea	Kaddu Veg, Masoor Daal, Rice, Roti, Green Salad, Pickle	Tea, 2 Piece Samosa	Kabuli Chana Veg, Bhindi Veg, Rice, Roti, Green Salad, Pickle
Sunday	Aloo Paratha, Sauce, Tea	Tahri, Raita, Papad, Green Salad, Pickle	Tea, Aloo Pakodi	Paneer Veg, Jeera Rice, Roti, Green Salad

Green Salad: Cucumber, Tomato, Onion, Carrot, Radish, Lemon.